

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अयोध्या

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

(दूरभाष/फैक्स- 05278-261749, ई-मेल- dfofaizabad@rediffmail.com, dfofaizabad@gmail.com)

पत्रांक 854 /14-4 दिनांक:अयोध्या: 05/09 /2022

सेवा में,

जी0एम0(टेक0)/प्रोजेक्ट डॉरेक्टर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कमला भवन,
हनुमन्त पुरम निकट त्रिपुला चौराहा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

Forest Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non- forest purpose for the project "Development of 4/6 Lane Ayodhya Bypass Total length of 67.572 kms (package 1 Northern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 139+928 of NH-28 and Package 2 Southern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 153+281 of NH-28) under NHDP Phase-VII in the State of Uttar Pradesh- Resubmission of hard copy.

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक 761/14-4 दिनांक 31.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगे गये अभिलेख इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग,अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

(दूरभाष/फैक्स- 05278-261749, ई-मेल-dfofaizabad@rediffmail.com, dfofaizabad@gmail.com)

पत्रांक 761 /14-4 दिनांक:अयोध्या: 31-8-/2022

सेवा में,

जी0एम0(टेव0)/प्रोजेक्ट डॉरेक्टर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कमला भवन,
हनुमन्त पुरम निकट त्रिपुला चौराहा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

Forest Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non- forest purpose for the project "Development of 4/6 Lane Ayodhya Bypass Total length of 67.572 kms (package 1 Northern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 139+928 of NH-28 and Package 2 Southern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 153+281 of NH-28) under NHDP Phase-VII in the State of Uttar Pradesh- Resubmission of hard copy.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव 05 प्रतियों में आपके इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि प्रस्ताव में निम्न कमियाँ हैं:-

1	प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संसोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान की वचनबद्धता।
2	परियोजना की स्वीकृति का शसनादेश/आदेश।
3	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

आपने भूमि स्वामित्व वाले विभाग के आनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर इसकी वचनबद्धता भेजी है जो मान्य नहीं है।

अतः आप अपने किसी प्रतिनिधि को इस कार्यालय में भेज कर प्रस्ताव प्राप्त करा लें व उपरोक्त अभिलेखों को पूर्ण/संशोधित करते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(सिताशु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

०२

A